

पंजीकृत डाक

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0प्रथम गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषय:- शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024,दिनांक
28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक-26.05.2006 के नियुक्ति आदेश(नियुक्ति अनुभाग-4,संख्या-243/दो-04-06-32(1)/2001 टीसी0 1) से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन न0-1051/डीआर(एस)/2006,दिनांकित-13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक-15.06.2006 को जनपद फैजाबाद में अपर सिविल जज(जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/ 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/ सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांकित-28 जून 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अछादित होने का पात्र है।

प्रार्थी शासनादेश सं0-20/ 2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1), 2024 दिनांकित-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु दिनांक-01.08.2024 को विकल्प पत्र माननीय महोदय के समक्ष भेजा था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त विकल्प पत्र के कालम न0-9 व 10 में ऑब्जेक्शन लगाकर पुनः विकल्प पत्र भेजने का कथन किया गया है। उसी अनुक्रम में उक्त ऑब्जेक्शन का निराकरण कर मेरे द्वारा पुनः विकल्प पत्र भरकर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करे।

सादर,

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

एफ0टी0सी0, प्रथम गोण्डा।

आई0डी0न0-यू0पी06272

दिनांक-11.09..2024

संलग्नक:-

1:-पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र

No. 2163.....Date..11.09.2024

FORWARDED

District Judge, Gonda

11.09.2024

शासनादेश संख्या-14/ 2024/ सा- 3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांक-28 जून, 2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस- 2024/ 301 (1) 2024, दिनांक-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का

विकल्प पत्र

1. नाम SURYA PRAKASH SINGH
2. वर्तमान पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/ FTC, GONDA
3. वेतनमान BASIC PAY-1,94,660/- (As on 01-02-2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम NYAYA VIBHAG
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- NIYUKTI VIBHAG Through U.P PUBLIC SERVICE COMMISSION, ALLAHABAD
6. विज्ञप्ति की तिथि A-2/E-1/2003, 22 November 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26.05.2006
8. योगदान की तिथि - 15.06.2006
9. जन्म तिथि - 20.06.1968
10. सेवा निवृत्ति की तिथि - 30.06.2028

मैं SURYA PRAKASH SINGH पुत्र SRI PRITHVIRAJ SINGH शासनादेश संख्या-14/ 2024/ सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (w)में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर
नाम-SURYA PRAKASH SINGH
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT
JUDGE/ (FTC),GONDA,
जे0ओ0कोड-यू0पी0-6272


घोषणा पत्र

मैं SURYA PRAKASH SINGH पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/ (FTC),GONDA यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....
नाम-SURYA PRAKASH SINGH
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT
JUDGE/ (FTC),GONDA,
जे0ओ0कोड-यू0पी0-6272

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

SURYA PRAKASH SINGH पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/ (FTC),GONDA को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (w)में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/ सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
GONDA